



श्रीमान अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल, गवालियर इन्दौर केम्प  
136

R . 3580-ए।३

निगरानी प्रकरण क्रमांक :

पेशी दिनांक : १२.९.१३

मेरा निगरानीकर्ता हैं  
अनुप पिता श्री कल्याण अग्रवाल  
जैसे इन्द्रिय के भिन्न  
उम्र - 25 वर्ष, धंधा - व्यापार  
निवासी - 6, श्रीनाथ कॉलोनी,  
जिला खरगोन (म.प्र.)

विरुद्ध

... निगरानीकर्ता

~~तर्फ से~~  
16.9.13

1. राजेश पिता श्री श्याम पाटीदार  
निवासी - बलवाडी तहसील खरगोन
2. शेख मुबारिक पिता शेख गनी मुसलमान  
निवासी - राजेन्द्र नगर, खरगोन
3. कैलाश पिता निरंजनलाल अग्रवाल
4. मोन्टी पिता कैलाश अग्रवाल  
दोनो निवासी - नूतन नगर, खरगोन
5. प्रबंधक  
जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र, खरगोन

.... प्रत्यर्थीगण

निगरानी अर्ज अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959

निगरानीकर्ता तर्फ सादर निवेदन है कि :-

निगरानीकर्ता द्वारा सदर निगरानी श्रीमान तहसीलदार  
महोदय, खरगोन के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक  
3/अ-13/2012-13 मे पारित आदेश दिनांक 15/07/2013 के  
विरुद्ध प्रस्तुत की जा रही है। जिसमे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा *ad hoc*

R 3586-II/13 २७/१०/१७

24-10-2017

आवेदक की ओर से श्री  
मुकुरा गांव आग्निकाल उपाधिवाच  
अनुकूल डाटा प्रकल्प नहीं प्रबोधित कर  
शुरू किया गया। अतुराय लीका  
किया जाता है। प्रकल्प नहीं प्रबोधित  
कर जारी समाप्त किया जाता है।

२७/१०/१७  
२१/१०/१७  
२१/१०/१७  
२३/१०/१७

प्रपत्र

३५८६-II